

## विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 7821 की जानकारी

प्रश्नोत्तर से सबोधित पारेशिष्ट

[ 30/3/2016]

क्र.	मैहर विधान सभा क्षेत्र हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजना	योजनावार पात्रता हितग्राही	
		राज्य योजना	परिशिष्ट 'अठहत्तर'
1	फल विकास कार्यक्रम	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
2	घरेलू बागवानी (किचेन गार्डेन)	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
3	उद्यानिकी फसलों के मिनिकिट एवं प्रदर्शन	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
4	सब्जी एवं मसाला क्षेत्र विस्तार	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
5	कृषक प्रशिक्षण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
6	मेला प्रदर्शनी एवं प्रचार प्रसार	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
7	उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
8	संरक्षित खेती	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
9	अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
<b>ब. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</b>			
1	प्याज भण्डार गृह का निर्माण 50 एम.टी.	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
2	ग्रीषकालीन तरबूज एवं कढ़दू वर्गीय संकर सब्जी उत्पादन	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
3	अनार की खेती (टिशू कल्यार) ड्रिप सहित	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
4	उच्च तकनीक से पान की खेती	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।

## मैहर विधान सभा क्षेत्र हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में

### योजनावार पात्रता हितग्राही

क्र.	मैहर विधान सभा क्षेत्र हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजना	योजनावार पात्रता हितग्राही
स	उद्यानिकी मिशन योजना	
1	मॉडल नरसी की ल्थापना (शासकीय एवं निजी क्षेत्र)	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
2	सब्जी बीजोत्पादन (शासकीय एवं निजी क्षेत्र)	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
3	नवीन फल पौध रोपण (सामान्य)	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
4	फल पौध रोपण ड्रिप सहित	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
5	उच्च धनत्व का फल पौध रोपण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
6	अति उच्च धनत्व का फल पौध रोपण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
7	पुष्ट क्षेत्र विस्तार	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
8	मसाला क्षेत्र विस्तार	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
9	वर्मी कम्पोस्ट	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
10	फसलोत्तर प्रबंधन (ऐक हाउस निर्माण एवं घाज भण्डार गृह 25 एम.टी.)	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
11	कृषक प्रशिक्षण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
12	उद्यानिकी यंत्रीकरण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
13	संरक्षित खेती	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
14	जल रक्तोत्तर का निर्माण	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
द	उद्यानिकी माइक्रो इरीगेशन	
1	ड्रिप प्रतिस्थापन	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।
2	स्प्रिंकलर	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति सभी वर्ग के कृषक पात्र हैं।

  
 संचालक  
 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी  
 मध्यप्रदेश भोपाल

  
 निर्माण विभाग  
 मंडल विवेद शासन  
 उद्यानिकी एवं घाराय ब्रह्मस्करण विभाग